

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -39/2024

**अनवान**

जसवीर सिंह पुत्र रामपाल सिंह, जाति सिंह, उम्र वालिग, निवासी ग्राम हमेरगंज, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

-वादी

**बनाम**

1. गुरमीत सिंह पुत्र नरपाल सिंह, जाति सिख, उम्र वालिग, निवासी ग्राम हमेरगंज, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. संतोष कौर पत्नी अरविन्दपाल सिंह, जाति सिख, उम्र वालिग, निवासी ग्राम हमेरगंज, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. पराक्रम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह, राजपूत, उम्र वालिग, निवासी उदयपुर, हाल निवास ग्राम हमेरगंज, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित - श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक प्रार्थी

अप्रार्थी संख्या 01 से 03 एकतरफा कार्यवाही व 04 परोकार सरकार।

**निर्णय**

दिनांक 13.11.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वादी ने न्यायालय श्रीमान् में एक वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 रा0टि0 एक्ट का पेश किया है वादी प्रार्थी को आशा है कि वादपत्र अवश्य ही वादीगण के पक्ष में डिक्री होगा। प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम मौजा हमेरगंज, प0ह0 टोलो का लुहारिया, तहसील रावतभाटा की जमबंदी सम्वत् 2076-2079 की खाता संख्या 16, खसरा संख्या 103/166, 103/169, 104/193, 105/159, 106/192, 92/140 कुल किता 06 कुल रकबा 3.8100 हैक्टेयर प्रार्थी के खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अभी हाल ही में दिनांक 15.05.2024 को मुझ प्रार्थी द्वारा उक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजियात की पत्थरगढ़ी न्यायालय श्रीमान् के आदेशानुसार भू0अ0नि0 राजपुरा द्वारा की गई जिसकी पालना रिपोर्ट व मौका पर्चा में भू.अ.निरीक्षक द्वारा स्पष्ट अंकित किया गया है कि मुझ प्रार्थी के खाते की आराजी संख्या 92/140 रकबा 1.02 हैक्टर के पूर्वी दिशा में 0.35 हैक्टर कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 03 पराक्रम सिंह का कब्जा है तथा आराजी संख्या 103/166 रकबा 0.20 हैक्टर के दक्षिणी दिशा में रकबा 0.12 हैक्टर भूमि पर विपक्षी संख्या 02 संतोष कौर का कब्जा है तथा आराजी संख्या 103/169 रकबा 0.77 हैक्टर के पूर्ण रकबे पर विपक्षी संख्या 01 गुरमीत सिंह का कब्जा बताया है जिस पर प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 01,02,03 को कब्जा छोड़ने हेतु निवेदन किया तो विपक्षीगण लड़ाई-झगड़ा करने पर आमादा हो गये तथा कब्जा छोड़ने से मना कर दिया इसलिए यह प्रार्थना-पत्र बेदखली बाबत् निषेधाज्ञा का न्यायालय श्रीमान् में पेश करना आवश्यक हुआ है। अंत में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुझ प्रार्थी की खाते की आराजी संख्या 92/140 रकबा 1.02 हैक्टर के पूर्वी दिशा में 0.35 हैक्टर कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 03 पराक्रम सिंह ने कब्जा कर लिया है तथा आराजी संख्या 103/166 रकबा 0.20 हैक्टर के दक्षिणी दिशा में रकबा 0.12 हैक्टर भूमि पर विपक्षी संख्या 02 संतोष कौर ने कब्जा कर लिया है तथा आराजी संख्या 103/169 रकबा 0.77 हैक्टर के पूर्ण रकबे पर विपक्षी संख्या 01 गुरमीत सिंह कब्जा कर लिया है जिन्हें



उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)



जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि यह उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में किसी प्रकार की दखलअंदाजी अनाधिकृत प्रवेश न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 बाद तामील उपस्थित नहीं होने से न्यायालय द्वारा इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। अप्रार्थी संख्या 04 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए बावजूद इसके जवाब प्रस्तुत नहीं होने से एंव राज सरकार हित प्रभावित नहीं होने से जवाब बंद किया गया।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के खाते की जमीन ग्राम हमेरगंज प0ह0 टोलो का लुहारिया तहसील रावतभाटा की खाता संख्या 16 खसरा संख्या 103/166, 103/169, 104/193, 105/159, 106/192, 92/140 कुल किता 06 कुल रकबा 3.81है0 भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त कृषि आराजीयात में से आराजी संख्या 92/140 रकबा 1.02है0 में से 0.35है0 पर विपक्षी संख्या 03 व आराजी संख्या 103/166 रकबा 0.20है0 में से 0.12है0 पर विपक्षी संख्या 02 तथा आराजी संख्या 103/169 रकबा 0.77है0 भूमि पर विपक्षी संख्या 01 ने कब्जा कर लिया है, जिन्हे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में किसी प्रकार की दखलअंदाजी अनाधिकृत प्रवेश न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत सम्वत 2076-79 की ग्राम हमेरगंज, प0ह0 टोलो का लुहारिया, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 92/140 रकबा 1.02है0, आराजी संख्या 103/166 रकबा 0.20है0 व आराजी संख्या 103/169 रकबा 0.77है0 भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है, उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज होने से प्रथमदृष्टया हक प्रार्थी का होना साबित होता है, जिससे सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में न होकर प्रार्थीगण के पक्ष में अधिक है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 01 से 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण की उपरोक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का अमल दखल, मदाखलत न तो स्वयं करें, ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को सुनाया गया।



(महेश गंगोरिया) R.A.S.  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा